

न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भूअभिलेख
अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम [आर.ए.एस.]

प्रकरण संख्या : 94/2024(जी.सी.एम.एस. 2024/230)

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. गुरजीत सिंह उर्फ रणजीत सिंह पुत्र हरबंस सिंह जाति जटसिख निवासी बुर्जवाला तहसील श्रीकरणपुर।		1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजू:- 06.06.2024

उपस्थित: 1. श्री मनीष जागिंड अधिवक्ता वादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट,

—निर्णय—

दिनांक : 11.08.2025

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 31 एच, पटवार हल्का 42 एच, भूअ.नि.क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 09/09 के मुख्या नम्बर 49, 50 की कुल 8.855 हैक्टेयर भूमि में वादी के नाम 22/35 हिस्सा भूमि व खाता संख्या 08/08 के मुख्या नम्बर 40 की कुल 0.531 हैक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त खातों में वादी का नाम गुरजीत सिंह पुत्र हरबंस सिंह अंकित है। वादी के पहचान सम्बन्धी दस्तावेजों में नाम रणजीत सिंह पुत्र हरबंस सिंह अंकित है। वादी के नाम में भिन्नता होने के कारण कृषि भूमि को हिस्सा, ठेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से अनुदान राशि, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने अन्य विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। इस कारण वादी मुताबिक दस्तावेजों के आधार पर नाम संशोधित करवाने हेतु घोषणात्मक अनुतोष का वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहा है। वर्तमान में अनुदान/ऋण संबंधित आवेदन पत्र ऑनलाईन हो चुके हैं, जिनका दस्तावेजों के अनुरूप मिलान किया जाता है, उसके पश्चात् ही अनुदान/ऋण स्वीकृत करना अनिवार्य कर दिया है। इस कारण विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ रहा है। इसलिए भी उक्त संशोधन करवाने हेतु वादी माननीय न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर उक्त आशय के संशोधन हेतु घोषणा करवा रहा है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 31 एच, पटवार हल्का 42 एच, भूअ.नि.क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 09/09 व खाता संख्या 08/08 में अंकित नाम गुरजीत सिंह पुत्र हरबंस सिंह के स्थान पर रणजीत सिंह पुत्र हरबंस सिंह दर्ज किए जाने के आदेश दिए जावे।

2. वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पत्राक 1913 दिनांक 18.07.2025 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक पटवारी हल्का द्वारा पूछताछ की गई पूछताछ में बताया गया कि गुरजीत सिंह व रणजीत सिंह दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। साक्ष्यवादी में गवाह गुरतेज सिंह उपस्थित आए। शपथ पत्र बाबत साक्ष्य पेश किया। सामिल मिसल किया गया। साक्ष्यप्रतिवादी पेश नहीं करने पर बन्द की गई।

3. बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादी, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादी अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत



सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 31 एच, पटवार हल्का 42 एच, भू.अ.नि.क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 09/09 की प्रति, राजस्व ग्राम 31 एच, पटवार हल्का 42 एच, भू.अ.नि.क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 08/08 की प्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, जन आधार कार्ड की छायाप्रति, परिवार राशन कार्ड की छायाप्रति, मतदाता पहचान पत्र की छायाप्रति, के अवलोकन से स्पष्ट है, कि वादी के द्वारा राजस्व ग्राम 31 एच, पटवार हल्का 42 एच, भू.अ.नि.क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 09/09 व खाता संख्या 08/08 में अंकित नाम गुरजीत सिंह पुत्र हरबंस सिंह के स्थान पर रणजीत सिंह पुत्र हरबंस सिंह दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया गया है। वादी के पहचान सम्बन्धी दस्तावेज आधार कार्ड की छायाप्रति, मतदाता पहचान पत्र की छायाप्रति, परिवार राशन कार्ड की छायाप्रति, मतदाता पहचान पत्र की छायाप्रति में नाम रणजीत सिंह पुत्र हरबंस सिंह दर्ज है। सरपंच ग्राम पंचायत 42 एच के तस्दीक प्रमाण पत्र के अनुसार रणजीत सिंह पुत्र हरबंस सिंह व गुरजीत सिंह पुत्र हरबंस सिंह दोनों एक ही व्यक्ति के दो नाम है। अतः वाद पत्र वादी रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, वादी के द्वारा प्रस्तुत पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात, शपथ पत्र गवाहन, सरपंच ग्राम पंचायत 42 एच के तस्दीक प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

—:आदेश:-

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136—राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 31 एच, पटवार हल्का 42 एच, भू.अ. नि.क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 09/09 व खाता संख्या 08/08 में अंकित नाम गुरजीत सिंह पुत्र हरबंस सिंह के स्थान पर रणजीत सिंह पुत्र हरबंस सिंह दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खातों के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाबा पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

(सुरोशम (आर.एस.एस.))
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीमानगर

निर्णय आज दिनांक 04.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(सुरोशम (आर.एस.एस.))
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीमानगर



अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

रणजीत सिंह बनाम राजस्थान सरकार
धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट

मुकदमा नम्बर 94/2024

निर्णय दिनांक :- 11.08.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई खबरु उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वादी अधिवक्ता श्री मनीष जागिंड उपस्थित होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 31 एच, पटवार हल्का 42 एच, भू.अ.नि.क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 09/09 व खाता संख्या 08/08 में अंकित नाम गुरजीत सिंह पुत्र हरबंस सिंह के स्थान पर रणजीत सिंह पुत्र हरबंस सिंह दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। उक्त खातों के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेंगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। आज दिनांक 11.08.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीमंगलगढ़

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	04	00	योग	00	00

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीमंगलगढ़
दिनांक: 11.08.2025

क्रमांक: रीडर/2025/603

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करें।

{श्योराम (आर.ए.एस.) पदेन
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीमंगलगढ़

